

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मन्दीप पुत्र बंशीलाल

बनाम 1. बंशीलाल पुत्र राजाराम

जाति जाट निवासी बिराण

जाति जाट निवासी बिराण

दावा बाबत :- 88 RT Act

2. स्टेट तहसीलदार राजस्व भादरा

मुकदमा नम्बर :- 12/2021

निर्णय दिनांक :- 15/11/2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र पचार की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/11/21 को मुझ शकुंतला

चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया

जाता है कि चक 2 AMS के खाता संख्या 40/42 के मु० न० 18, 19, 22 के

कुल कित्ता 14 की कुल 3.5420 हेक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी

बंशीलाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार

चक 6 AMS के खाता संख्या 28/25 के मु० न० 1, 2, 26, 31 के कुल

कित्ता 43 की कुल 9.9680 हेक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी

बंशीलाल के नाम 47-1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें

प्रतिवादी म० 1 बनीतात श्री बजाय वादी तथा प्रतिवादी म० 1

बनीतात से बहिष्ता वरावर के अनुसार खातेदार अरुमाद

वोषिर डिजे जाते थे छी भूमि बँड रहन है तो रहन भुल

होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंमल रिकॉर्ड सुधार

किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़